प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रसं0–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–5/12–13/642-12 दिनांक 4. 07, 2012

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत " जननी सुरक्षा योजना" के वित्तीय वर्ष 2012–2013 में संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" संचालित की जा रही है। इस सम्बन्ध में वर्तमान में मुख्य रूप से शासनादेश सं0– जी0आई0 136/5–9–07–9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007 शासनादेश सं0–3668/5–9.7–9(113)/2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0–3667/5–9–08–9 (113)/05,दिनांक 05.03.2008 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी एवं आशा के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

"जननी सुरक्षा योजना' राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु लागू की गयी शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है। इसके अन्तर्गत सभी महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों यथा–उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ.आर.यू.) /जिला एवं राज्य स्तरीय समस्त चिकित्सालय/सरकारी एवं केन्द्रीय मेडिकल कालेज एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालयोंयथा– रेलवे चिकित्सालय, पुलिस चिकित्सालय, सेना के चिकित्सालय, ई0एस0आई0 चिकित्सालय आदि के जनरल वार्ड में प्रसव कराने पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है:–

ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (₹)	आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (₹)	योग (₹)	लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (₹)	आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (₹)	योग (₹)
1	2	3	4	5	6
1400.00	600.00	2000.00	1000.00	शून्य	1000.00

1. योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन राशि का निर्धारण लाभार्थी के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। यदि गर्भवती महिला आशा द्वारा नहीं लायी जाती है और लाभार्थी अपने संसाधन से चिकित्सालय आती है तो परिवहन मद में आशा को दी जाने वाली धनराशि (रू0 250.00) लाभार्थी को दे दी जायगी। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की लाभार्थी को रू0 1650.00 की धनराशि देय होगी।

2. सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कराने वाली महिलाओं के लिए आयु अथवा दो बच्चों का प्रतिबन्ध लागू नहीं है। इसी प्रकार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन का प्रमाण–पत्र अथवा प्रसवोपरान्त नसबन्दी कराने का प्रतिबन्ध भी लागू नहीं है।

.....2

3. गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 19 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की ऐसी सभी गर्भवती महिलाएं, जो घर पर कुशल सेवा प्रदाता द्वारा प्रसव कराती हैं, को दो जीवित बच्चो के जन्म तक प्रति प्रसव ₹ 500/– की सहायता बियरर चेक के माध्यम से अनुमन्य होगी। ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन एवं आयु का प्रमाण–पत्र (राशन कार्ड/टीकाकरण कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र) आवश्यक होगा तथा प्रश्नगत प्रोत्साहन केवल दो जीवित बच्चो के जन्म के सम्बन्ध में ही अनुमन्य होगा।

4. प्रत्येक लाभार्थी को भुगतान से पूर्व अपना चुनाव पहचान पत्र चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा जिसकी छाया–प्रति अभिलेखों में सम्मिलित की जायगी। लाभार्थी की चुनाव पहचान पत्र संख्या भुगतान रजिस्टर में अंकित की जायगी।

5. यदि किसी कारण से आशा गर्भवती महिला को संस्था तक जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं कर पाती है या गर्भवती महिला अकेली ही स्वास्थ्य इकाई पर पहुंचती है, तो ऐसी परिस्थिति में गर्भवती महिला के प्रसव हेतु संस्था पर पहुॅचने पर/पंजीकरण के पश्चात परिवहन सहायता (जो कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं हेतु ₹ 250/– तक सीमित है) लाभार्थी को बियरर चेक द्वारा तुरन्त प्रदान की जायगी।

6. चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि महिलाओं को अनुमन्य धनराशि बियरर चेक के माध्यम से प्रसव कराने के पश्चात तुरन्त उपलब्ध करायी जाय।

7. देय धनराशि के भुगतान में विलम्ब होने पर उसकी जांच व समस्या के निराकरण का उत्तरदायित्व जिले के नोडल अधिकारी का होगा। यदि संस्थागत प्रसव के उपरान्त नसबन्दी/लैप्रोस्कोपी करायी जाती है तो लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य दोनों लाभ देय होंगे।

8. <u>मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय मे प्रसव कराने पर व्यवस्था</u>

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय मे प्रसव कराने पर केवल बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं (लाभार्थी) को भुगतान अनुमन्य होगा (शासनादेश संख्या–3667/ 5–9–08–9(113)/05 चिकित्सा अनु0–9, दिनांक 05.03.2008)। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली बी0पी0एल0 महिलाओं के सम्बन्ध में सिजेरियन आपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने पर प्रति प्रसव ₹ 1500.00 की दर से भुगतान निजी नर्सिंग होम को देय होगा, जो लाभार्थी/आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों द्वारा अनावश्यक रूप से सिजेरियन डिलीवरी न की जाय ऐसे मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम पर विशेष ध्यान दिया जायगा जहां किसी माह में सिजेरियन डिलीवरी कुल प्रसव के 15 प्रतिशत से अधिक हो। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत इच्छुक प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय को नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया वर्ष के आरम्भ में ही पूर्ण कर ली जाय।

9. <u>धन संचरण की व्यवस्था</u>

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी प्रत्येक ए.एन.एम. को ₹ 10000.00 इम्प्रेस्ट मनी के रूप में जननी सुरक्षा योजना के मद से क्षतिपूर्ति किये जाने वाले धन के रूप में अग्रिम प्रदान करेंगे। यह धनराशि ए.एन.एम. एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के उसी संयुक्तखाते में रखी जायगी जिसमें जननी सुरक्षा योजना की धनराशि रखी गयी हैं। प्रभारी अधिकारी इस धनराशि में से ₹ 1500.00 आशा को अग्रिम प्रदान कर सकेगें। इस धन के प्रतिपूर्ति ए.एन.एम. द्वारा प्राथमिक स्वा0केन्द्र/सामु0 स्वा0 केन्द्र के जननी सुरक्षा योजना के फण्ड के प्रभारी अधिकारी से प्राप्त की जायगी।

.....3

10. आशा हेतु पैकेजः–

आशा द्वारा लाभार्थी महिला को सेवायें प्रदान करने पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति प्रसव ₹ 600.00 की धनराशि का भुगतान किया जायगा। इसमें ₹ 250.00 परिवहन व्यवस्था हेतु, ₹ 150.00 महिला के साथ चिकित्सालय में रहने एवं भोजन आदि हेतु एवं ₹ 200.00 आशा को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में देय होगी। शहरी क्षेत्र में आशा को प्रोत्साहन राशि अनुमन्य नहीं है। यदि गर्भवती महिला आशा द्वारा नहीं लायी जाती है और लाभार्थी अपने संसाधन से चिकित्सालय आती है तो परिवहन मद में आशा को दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी को दे दी जायगी।

11. आशा को भुगतानः–

आशा द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीकरण ए.एन.एम. से कराया जायगा एवं लाभार्थी को सन्दर्भन पर्ची तथा जच्चा–बच्चा कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। आशा को देय धनराशि दो चरणों में अनुमन्य होंगी–

11.4 50 प्रतिशत धनराशि का पहला भुगतान **पूर्णतया पंजीकृत कार्ड धारक गर्भवती महिला** के साथ संस्था में पहुचने तथा संस्था में रूकने के लिए अनुमन्य होगा।

11.5 शेष 50 प्रतिशत धनराशि का दूसरा भुगतान महिला की एक माह तक प्रसवोत्तर देखभाल, एक माह तक नवजात शिशु की देखभाल एवं बच्चे को बी0सी0जी0 का टीका लगवाये जाने के पश्चात अनुमन्य होगा।

11.6 आशा को दिये जाने वाले मानदेय के भुगतान का सत्यापन ए0एन0एम0 द्वारा किया जायेगा। इसके लिए वाउचर प्रणाली अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत ए.एन.एम. प्रत्येक गर्भवती महिला, जिसका पंजीकरण किया गया है, के सम्बन्ध में आशा को निम्नलिखित प्रारूप पर दो बाउचर देगी। आशा इस बाउचर को भरकर ए.एन.एम. को प्रस्तुत करेगी, जिसे प्रमाणित करने के उपरान्त आशा को भुगतान अनुमन्य होगा।

लाभार्थी महिला का नाम	पंजीकरण की तिथि	प्रसव की तिथि	शिशु का लिंग	जीवित /मृत	आशा का नाम	अस्पताल से अवमुक्त किये जाने की तिथि	दी गयी धनराशि का विवरण	हस्ताक्षर (दिनांक सहित)		
								प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	ए.एन.एम.	आशा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. अति आवश्यक बिन्दुः–

12.1. भुगतान बाउचर में लाभार्थी को दी गयी धनराशि का प्रमाणीकरण एवं भुगतान की तिथि का अंकन अनिवार्य होगा।

12.2. चिकित्सालयों के प्रभारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक दशा में प्रसव के बाद प्रसूता के अस्पताल से डिस्चार्ज से पूर्व उसको योजना में अनुमन्य धनराशि का बियरर चेक उपलब्ध करायें, साथ ही नियमानुसार आशा को भी यथा समय एकाउन्ट पेयी चेक प्राप्त हो जाय।

12.3. बी0पी0एल0 घरेलू प्रसव के प्रकरण में 15 दिनों के अन्दर ही रू0 500/– की धनराशि का बियरर चेक उपलब्ध करा दिया जाय।

12.4. स्वास्थ्य इकाई द्वारा अपने यहां होने वाले प्रत्येक प्रसव का अभिलेख रखा जायगा।

.....4

12.5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अवशेष धनराशि एवं धनसंचरण के परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 तथा वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0 एवं महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य, एस0पी0एम0यू0 द्वारा पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी।

12.6. जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले में होने वाले संस्थागत प्रसव एवं व्यय का मासिक विवरण अनिवार्य रूप से महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 तथा वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0 एवं महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य, एस0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करायेंगे।

12.7. जननी सुरक्षा योजना सेल द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित इस कार्यक्रम का सघन अनुश्रवण व पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायगा। राज्य स्तर पर क्रियाशील जननी सुरक्षा योजना की वेबसाइट पर नियमित रूप से जनपदों को निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थी के नाम, पता, सम्पर्क नम्बर, धनराशि के भुगतान का विवरण, आशा एवं ए0एन0एम0 के नाम आदि सहित पूरी सूचना उपलब्ध करानी होगी।

12.8. जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। समिति द्वारा इसके लिए जिला स्तर पर एक जिला नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

13. <u>गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवनयापन का प्रमाणपत्रः–</u>

13.1. किसी राजस्व अधिकारी यथा–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/ कानूनगो/लेखपाल दिया गया प्रमाण–पत्र सामान्य होगा।

13.2. यदि किन्ही कारणवश लाभार्थी के पास यह प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है तो ए.एन.एम. /आशा कार्यकत्री की संस्तुति का ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

13.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्त्योदय अन्य योजना में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया बी0पी0एल0 कार्ड मान्य होगा।

14. <u>रिपोर्टिंगः–</u>

14.1. प्रत्येक माह 07 तारीख तक आशा कार्यकत्री/ए.एन.एम. द्वारा गत माह की लाभार्थियों की प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय–विवरण निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित प्राथमिक/सामु0 स्वा0 केन्द्र के चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

14.2. ब्लाक स्तरीय चिकित्साधिकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपने ब्लाक के समस्त कार्यकर्ताओं की प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय–विवरण के संकलन पर अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर जिले के नोडल अधिकारी को भेजेंगे।

14.3. जनपद के नोडल अधिकारी समस्त ब्लाक से प्राप्त रिपोर्ट एवं व्यय–विवरण के आधार पर संकलित रिपोर्ट को उसी माह की 15 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला स्वास्थ्य

14.4. समिति/जिला कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे एवं अपने जनपद की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 को निर्धारित प्रारूप पर भेजेंगे।

14.5. उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर पर विकसित जननी सुरक्षा योजना की वेबसाइट पर जनपद में 7 दिन पूर्व तक हुए समस्त प्रसवों की विस्तृत सूचना निर्धारित प्रारूप पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी, जिसका नियमित अनुश्रवण राज्य स्तर पर किया जायेगा।

14.6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा प्रत्येक 06 माह पर जनपदवार विस्तृत संकलित रिपोर्ट/व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण–पत्र, आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को निर्धारित प्रपत्रों पर माह अप्रैल एवं नवम्बर में उपलब्ध करायी जायगी।

15. <u>जनपद स्तरीय प्रशासनिक व्यय</u>

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अनुश्रवण, आई0ई0सी0, योजना के सुचारू क्रियान्वयन, वेबसाइट एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु अनुमन्य है।

.....5

प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से निम्न कार्य किए जाएंगे–

कम सं0	प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य गतिविधियाँ
1	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों पर प्रसव कक्ष/जे0एस0वाई0 वार्ड की सफाई व्यवस्था
2	जे0एस0वाई0 वार्ड का सौन्दर्यीकरण/पोस्टर आदि की व्यवस्था
3	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों पर अंशकालिक कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था
4	जिला महिला चिकित्सालय पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जे0एस0वाई0 की रिपोर्टिंग तथा वेब पेज फीडिंग हेतु 01 कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था
6	सभी स्तरों पर जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था
7	मेडिकल कॉलेज पर सौन्दर्यीकरण/पोस्टर, जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था

मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद स्तर पर एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों के प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार सर्वसहमति से प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि के उपयोग का उपर्युक्त तालिका में दिए गए मदों के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय करेंगे एवं सभी प्रसव इकाइयों पर कार्यक्रम का गुणवत्तापरक कियान्वयन सुनिश्चित करेंगें। सुरक्षा कर्मी जनपद की परिस्थितियों के दृष्टिगत अति आवश्यक इकाइयों पर ही दिये जाँय।

16. प्रदेश के 09 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में वर्ष 2012–13 के लिए जे0एस0वाई0 की रिपोर्टिंग तथा वेब पेज फीडिंग, मैटरनल डेथ रिपोर्टिंग में सहयोग हेतु पृथक से 01 कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था हेतु रू0–7500.00 प्रतिमाह की दर से रू0–90000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कृपया यह धनराशि मेडिकल कॉलेजों को आबंटित कर दें।

17. <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–</u>

प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को प्रत्येक उपकेन्द्र पर उस क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्रियों की बैठक होगी। यदि शुक्रवार को अवकाश है तो अगले कार्यदिवस को यह बैठक होगी जिसमें सम्भावित पात्र लाभार्थी एवं सेवित लाभार्थियों का विवरण प्रस्तुत कर ए.एन.एम. की सहायता से कार्ययोजना तैयार की जायगी। इसके अतिरिक्त आशा को दिये जाने वाले प्रोत्साहन की राशि, घरेलू प्रसव, ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाली महिलाओं के संस्थागत प्रसव तथा नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के संस्थागत प्रसव के समुचित अनुश्रवण हेतु सत्यापित करने योग्य संकेतक चिन्हित किये गये हैं, जिनके साथ–साथ विस्तृत दिशा–निर्देश तथा मॉनीटरिंग प्रपत्र भी विकसित किये गये हैं जो आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

18. <u>जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की फांट/वित्तीय व्यवस्था</u>

जनपदों को अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग उपर्युक्त दिशा–निर्देश के अनुसार करना सुनिश्चित करें। संलग्न तालिका में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (घरेलू प्रसव, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसव, नगरीय क्षेत्रों के प्रसव, आशा को देय धनराशि तथा प्रशासनिक मद) हेतु अलग–अलग निर्धारित शीर्षवार, मदवार धनराशि की फांट प्रदर्शित रहती है। अपने जनपद की भौतिक प्रगति व व्यय विवरण निर्धारित प्रारूपों पर समयबद्ध रूप से निदेशक–मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा एन0आर0एच0एम0 कार्यालय लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- जनपद प्रबुद्धनगर की धनराशि जनपद मुज़फ्फरनगर की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में, जनपद पंचशील नगर के लिए धनराशि जनपद गाजियाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति में तथा जनपद भीमनगर के लिए धनराशि विकास खण्डों के अनुसार उनके मातृ–जनपदों बदायूं व मुरादाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति के खातों में अवमुक्त की जा रही है। इन

.....6

नवीन जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते खुलने के पश्चात् इन्हें पृथक से धनराशि अवमुक्त की जायगी।

- जननी सुरक्षा योजना के संचालन में भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायगा। जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाय।
- आशा को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरानत ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेनट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अतः आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थियों अथवा आशाओं के भुगतान हेतु योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।
- जनपद स्तर पर आकस्मिकता की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देशों के क्रम में रोगी कल्याण समिति/अनटाइड फण्ड से जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमति से धनराशि उधार ली जा सकती है जो बजट प्राप्त होने के पश्चात वापस की जायगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उसके अधीन कार्यरत जनपदीय अधिकारी 10 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करेगें तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जननी सुरक्षा योजना की वेबसाइट पर 7 दिनों के अन्दर डेटा अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में जिलाधिकारी महोदय की सहमति से अन्य विभागों के अधिकारी भी सहयोग कर सकते हैं।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

A/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रसं0–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–5/12–13/ **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ,एन0आर0एच0एम0,उत्तर प्रदेश।
5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6 वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
9 समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीरा जैन)
महाप्रबन्धक,
मातृ स्वा0 एवं प0क0